

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठारीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एफ.)

पत्र संख्या 50/2023

उपनाम

1. रामचन्द्र पुत्र श्री गणेश तेली नि० खेराबाद तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र श्री गवाना दसोगा नि० खेराबाद तह. हमीरगढ।
2. रामचन्द्र पुत्र श्री धीसा कुमावत नि० खेराबाद तह. हमीरगढ।
3. गंवर पुत्र श्री धीसा कुमावत नि० खेराबाद तह. हमीरगढ।
4. देवा पुत्र नानू गाडरी नि० खेराबाद तह. हमीरगढ।
5. देवी लाल पुत्र श्री गणेश तेली नि० खेराबाद तह. हमीरगढ।
6. गेरू लाल पुत्र श्री गणेश तेली नि० खेराबाद तह. हमीरगढ।
7. श्रीमती गांगी पत्नी श्री गणेश तेली नि० खेराबाद तह. हमीरगढ।
8. हीरा लाल पुत्र श्री गणेश तेली नि० खेराबाद तह. हमीरगढ।
9. श्रीमती रामू पुत्री श्री गणेश तेली नि० दर्री झौपडिया तह हमीरगढ।
10. राजस्थान राज्य जारिये तहरीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 01.06.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 10.04.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खेराबाद प.ह. खेराबाद, भू.अ.नि. खेराबाद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 414 की आ.न. 715 रकबा 0.8472 है०, आ.न. 716 रकबा 0.0506 है०, आ.न. 717/1 रकबा 0.6449 है० कुल किता 03 रकबा 1.5427 है०, खाता संख्या 415 रकबा 717 रकबा 0.2150 है० भूमि स्थित है। विवादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13.04.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायात 09 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहरीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम खेराबाद प.ह. खेराबाद, भू.अ.नि. खेराबाद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 414 की आ.न. 715 रकबा 0.8472 है०, आ.न. 716 रकबा 0.0506 है०, आ.न. 717/1 रकबा 0.6449 है० कुल किता 03 रकबा 1.5427 है०, खाता संख्या 415 रकबा 717 रकबा 0.2150 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 800/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 01.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ
हमीरगढ (राज.)